सत्यमेव जयते

# राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

## National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

**SITTING NOTICE**

File No. NCST/SER-917/JH/19/2023-SSW    Dated:- 04.06.2024

सेवा में,

श्री अजय कुमार सिंह
उपायुक्त, सिमडेगा
जिला –सिमडेगा
सिमडेगा -835223 (झारखंड)
Email:- dc-sim@nic.in , Phone - 06525-225101

विषय:- **जिला पंचायती राज पदाधिकारी, सिमडेगा द्वारा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी को पंचायत सेवक पद से जबरन निष्कासित करने के संबंध में :- श्री देवकु भगत, मोहल्ला + डाकघर - ओलमुंडा, थाना - सिसई, जिला - गुमला, झारखंड का दिनांक 10.05.2023 का अभ्यावेदन।**

संदर्भ:- **उप विकास आयुक्त, सिमडेगा के पत्र क्रमांक 272(i)/पं0 दिनांक 24.06.2023**

महोदय,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निर्णय लिया है।

2. डॉ. आशा लकड़ा, माननीय सदस्या, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण/जांच / की जाने वाली कार्रवाई के लिए हॉल – **युवराज, बीएनआर चाणक्य होटल, रांची – 834001** में दिनांक **13.06.2024 को 05:00 बजे** सिटिंग (बैठक) निर्धारित की है।

3. तद्नुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संम्बंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/ दस्तावेजों के साथ व्यक्तिगत रूप से माननीय सदस्या के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिती को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड (8) के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय

मिरांडा ईगुदम

(मिरांडा ईगुदम/Miranda Ingudam)
निदेशक / Director
Tel:- 011-20819841
Email:- m.ingudam@sansad.nic.in